शहनाज बनाम शहजाद रंगरेज

अपील अन्तर्गत धारा 22 राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवष्यक पदार्थ का वितरण एवं विनियमन 1976

प्रकरण संख्या 3 वर्ष 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13 -11-2019	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांटा एवं वकील अपीलांटा उपस्थित । शहर काजी कोटा से तलाकनामें के सम्बन्ध में रिपोर्ट कमांक/561/144/H दिनांक 30.10.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई । जो शा0फाईल की गई । शहर काजी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि संलग्न दस्तावेज उर्दू का दस्तावेज जो फोटो कॉपी है, साफ नहीं है, उसमें कई लाईनें गायब है । पढ़ने में नहीं आ रहा है । तलाकनामें की वैधानिकता की जांच तभी मुमकिन है जब तलाक देने वाला शख्स रूबरू हाजिर हो और उसके हल्फिया बयान लेकर ही तलाक की तस्दीक कर रिपोर्ट दी जा सक़ती है या फिर तलाकनामें में दर्ज दौनों गवाहान रूबरू हाजिर हो और उनके हल्फिया बयान लेकर ही तलाक की तस्दीक कर रिपोर्ट दीं जा सकती है, अन्यथा नहीं । हमने अपीलांट को सुना अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए रेस्पोडेन्ट के राशन कार्ड में नाम जोडने बाबत कथन किया है । प्रकरण में रेस्पोडेन्ट शहजाद द्वारा भी पूर्व में दिनांक 10.7.2019 को जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीया सन 2016 से तलाक होने के कारण अलग निवास कर रही है जो प्रार्थी के घर से जाते वक्त प्रार्थी के आवश्यक दस्तावेज व परिवार का राशन कार्ड अपने साथ ले गई थी व आज भी प्रार्थीया के पास ही है जिसका वह दुरूपयोग कर रही है । प्रार्थीया द्वारा उसके बच्चों से लडाई झगडा करती थी तथा उसने अप्रार्थी के परिवार का जीना दूभर कर रखा था और अप्रार्थी के खिलाफ दहेज,भरण पोषण, घरेलू हिंसा अत्यादि के मुकदमें कर रखें है । इसलिए अप्रार्थी ने दिनांक 5.2.2016 को एक तलाकनामा मुस्लिम शरियत के अनुसार प्रार्थीया को भेज दिया है तथा कोर्ट के आदेषानुसार प्रार्थीया को 5000/– महिना व 2 कमरे भी अप्रार्थी ने अपने मकान में से दे रखे है , जिसमें प्रार्थीया वर्तमान में निवास कर रही है । चूंकि तलाक के बाद प्रार्थीया अप्रार्थी की पत्नि नहीं रही है इस कारण अप्रार्थी ने उसका नाम अपने परिवार राशन कार्ड से नियमानुसार कटवा दिया है जो न्यायोचित है । यदि प्रार्थीया चाहे तो अपना राशन कार्ड बनवा सकती है जिसकी उसे स्वतंत्रता है । हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । यह अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवष्यक पदार्थ वितरण का विनियमन के तहत राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए की गई है । चूंकि अपीलांट को उनके पति रेस्पोडेन्ट द्वारा मुस्लिम शरियत के तहत तलाक दिया हुआ है तथा कोर्ट से भी अपीलांट का प्रतिमाह 5000/– राशि एवं 2 कमरे दिये हुए है । प्रकरण में तलाकनामें की वैद्यता के सम्बन्ध प्राप्त रिपोर्ट भी अस्पष्ट होने से हमने अपीलांट को नया राशन कार्ड बनाने हेतु सलाह दी गई किन्तु अपीलांट द्वारा मना किया गया । साथ ही तलाकनामें की वैधता साबित करना इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है, इस बादत अपीलांट सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है । अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर इसी स्तर पर निरतारण की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो । (ओम कसेरा) जिला कलक्टर, कोटा	

Scanned by CamScanner